

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 14 दिसम्बर, 2021

संख्या वि०स०-विधायन-सरकारी विधेयक/1-26/2021.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 10) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

2021 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राजस्व संपदाओं में आबादी देह क्षेत्र के सांपत्तिक अधिकारों को अभिलिखित करने और उनका समाधान करने तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आबादी देह" से, राजस्व अधिनियम के अधीन तैयार किए गए और अनुरक्षित किए गए अधिकार-अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित स्थल, जिसे भू-राजस्व के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से, अप्रैल, 2020 का 20वां दिन अभिप्रेत है;

- (ग) "सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित राजस्व अधिनियम के अधीन नायब-तहसीलदार की पंक्ति से अन्यून का कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) "सहायक सर्वेक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन जिले का कलक्टर अभिप्रेत है;
- (च) "आयुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है;
- (छ) "सामान्य क्षेत्र" से, आबादी देह के भीतर किसी समुदाय की सामान्य आवश्यकता, सुविधा या प्रसुविधा के लिए उपयोग में लाया गया कोई क्षेत्र या भवन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सड़कें, मार्ग, गलियां, सार्वजनिक पार्क, नालियां, सार्वजनिक शौचालय, तालाब और टैंक, कुएं, जल-मार्ग, खेल का मैदान, बस ठहराव या प्रतीक्षालय, सार्वजनिक बैठकों और सभाओं या निवासियों द्वारा किसी ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थल, और कोई खाली स्थल या प्लॉट, जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व या कब्जा न हो, भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई भवन या क्षेत्र नहीं है जिस पर केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कोई संस्थान बनाया गया है;
- (ज) "वित्तायुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (झ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "अधिसूचना या अधिसूचित" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ट) "पंचायत" से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का 4) के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "सांपत्तिक अधिकार" से, किसी व्यक्ति, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, केन्द्रीय या राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या किसी अन्य इकाई के नाम से अभिलिखित स्वामित्व का अधिकार अभिप्रेत है; किन्तु इसके अन्तर्गत अभिधारी, पट्टेदार, बन्धकदार के अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो स्वामित्व प्रदान नहीं करता है, नहीं है;
- (ढ) "अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित उप-मण्डल कलक्टर की पंक्ति से अन्यून कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ण) "राजस्व अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1994 का 6) अभिप्रेत है;
- (त) "राजस्व अधिकारी" से, राजस्व अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

- (थ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (द) "सर्वेक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ध) "सर्वेक्षण इकाई" से, आबादी देह के भीतर का क्षेत्र, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित की गई है, अभिप्रेत है;
- (न) "शहरी स्थानीय निकाय" से, क्रमशः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) के अधीन गठित, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत अभिप्रेत है; और
- (प) "ग्राम समिति" से, आबादी देह सहित सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई सर्वेक्षण इकाइयों और सामान्य क्षेत्रों के स्वामित्व की पहचान करने के लिए यथा विहित इसकी संरचना सहित सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, ग्राम या शहरी स्थानीय निकाय के अधीन क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो राजस्व अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय-2 अधिकारी और उनकी शक्तियां

3. अधिकारी.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिसूचित निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (क) वित्तायुक्त;
- (ख) आयुक्त;
- (ग) मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी;
- (घ) अभिलेखन और समाधान अधिकारी;
- (ङ) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी;
- (च) सर्वेक्षण अधिकारी; और
- (छ) सहायक सर्वेक्षण अधिकारी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में वर्णित अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

- (ग) शपथ—पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अधीन, किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना; और
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना।

4. अधिकारियों का अधीक्षण और नियन्त्रण.—(1) इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारियों पर उनके प्रशासनिक कार्यकरण में अधीक्षण और नियन्त्रण वित्तायुक्त में निहित होगा और समस्त ऐसे अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे।

(2) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन, आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता में समस्त अन्य अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

(3) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन, मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने जिले में समस्त अन्य अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

(4) यथा पूर्वोक्त और मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी के नियन्त्रण के अधीन, अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने उप-मण्डल में समस्त अन्य अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

अध्याय—3

सर्वेक्षण, मानचित्रण और पहचान

5. आबादी देह क्षेत्र की पहचान.—सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी जिला, किसी जिला के उप-मण्डल, शहरी स्थानीय निकाय या किसी ग्राम में प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई में अधिकारों की पहचान करने, उसे अभिलिखित करने और उसका समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी आबादी देह को किसी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

6. सर्वेक्षण और मानचित्रण.—(1) सरकार धारा 5 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सर्वेक्षण संचालित करने के लिए कोई सर्वेक्षण अधिकारी और उसकी सहायता हेतु सहायक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) सरकार ऐसे क्षेत्रों, जिनके किसी आबादी देह के भीतर स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार किए जाने हैं, को अधिसूचित किए जाने पर, आबादी देह की सीमा अवधारित करने, प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का क्षेत्र और आयाम परिभाषित करने, और प्रत्येक ऐसी इकाई को कोई विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित करने के लिए स्वयं या किसी अधिसूचित अभिकरण के माध्यम से ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण संचालित करवाएगी और मानचित्रण करवाएगी।

(3) क्षेत्र की तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टों और नक्शों को सर्वेक्षण इकाइयों में स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार करने के प्रयोजन हेतु सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय—4

स्थायी अधिकार-अभिलेख और उसको तैयार करना

7. स्थायी अधिकार-अभिलेख.—(1) प्रत्येक आबादी देह क्षेत्र के लिए स्थायी अधिकार-अभिलेख होगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:—

- (क) इस अध्याय के अधीन तैयार की गई प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का सांपत्तिक अधिकारों का अभिलेख;
- (ख) अध्याय 3 के अधीन आयामों सहित तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टें और नक्शे;
- (ग) ग्राम समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख;
- (घ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विहित या अधिसूचित किए जाएं; और
- (ङ) वंश-वृक्ष (शजरा नसब)।

8. सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा जांच.—(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, उसके इस रूप में पदाविहित किए जाने पर, सर्वेक्षण इकाइयों में स्वत्वधारियों के सांपत्तिक अधिकारों की पहचान करने के लिए ग्राम समिति गठित करेगा।

(2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी आबादी देह, जिसका स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाना है, की बाबत क्षेत्र के निवासियों को प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई के लिए ऐसा अभिलेख तैयार करने हेतु प्रस्ताव के बारे में विहित रीति में सूचित करेगा।

9. स्थायी अधिकार- अभिलेख तैयार करना.—(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, ग्राम समिति के साथ विचार-विमर्श और परामर्श करने और हितबद्ध पक्षकारों को सुनने के पश्चात् नियत दिन पर, संक्षिप्त रीति में और जो विहित की जाए, स्वत्वधारियों की प्रस्तावित प्रविष्टियों और उनके सांपत्तिक अधिकारों तथा स्थायी अधिकार-अभिलेख में सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं की प्रविष्टियों को अभिलिखित करेगा।

(2) स्वत्वधारी और उसके सांपत्तिक अधिकारों की प्रविष्टि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के नाम अभिलिखित की जाएगी:—

- (क) निर्मित निवास और आवासीय क्षेत्रों, जिसके अन्तर्गत उसके खुले या बंद आंगन हैं, का स्वामी और स्वामी की अन्य खाली भूमि और प्लॉट, जो सामान्य क्षेत्र, दुकानें तथा अन्य स्थापन न हों;
- (ख) सामान्य क्षेत्र, खाली भूमि या प्लॉट, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन न हों, के लिए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय; और
- (ग) उसके स्वामित्वाधीन भूमि या संस्थाओं की बाबत केन्द्रीय, राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या अन्य इकाई।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के संचालन में, यदि कोई सर्वेक्षण इकाई उप-विभाजित पाई जाती है, जो सर्वेक्षण अधिकारी के ध्यान में न आई हो, तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी ऐसी प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई को कोई विशिष्ट संख्या समनुदेशित करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन अर्जित अधिकार, स्वामी को हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972, (1973 का 8) की धारा 118 या हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का 15) के प्रयोजन के लिए किसी कृषक या अनुसूचित जनजाति की हैसियत अर्जित करने का हकदार नहीं बनाएंगे।

10. अभिलेख का प्रदर्शन.—धारा 6 के अधीन तैयार किया गया सर्वेक्षण नक्शा और धारा 9 के अधीन किसी सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारियों का तैयार किया गया प्रविष्टियों का अभिलेख गांव में या शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति पंचायत को, गांव के वार्ड सदस्य या शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि या शहरी स्थानीय निकाय के ऐसे निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति में सचिव के माध्यम से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदत्त की जाएगी।

11. आक्षेप और विनिश्चय करना.—(1) सर्वेक्षण अभिलेख में किसी सीमा के सीमांकन या किसी सर्वेक्षण इकाई में स्थायी अधिकार—अभिलेख में सांपत्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन अभिलेख को प्रदर्शित करने की तारीख से तीस दिन के भीतर सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष उसके सही होने के सम्बन्ध में आक्षेप फाइल कर सकेगा।

(2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी पक्षकारों को सुनने और अभिलेख, यदि कोई हो, का अवलोकन करने के पश्चात् सर्वेक्षण नक्शे में सीमाओं का अनिवार्यतः सही होना दर्ज करेगा तथा सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारी के रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए सही हकदार व्यक्तियों को अभिनिश्चित करेगा और उपधारा (1) के अधीन अवधि के अवसान से साठ दिन के भीतर कारणों को अभिलिखित करके आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण.—किसी सर्वेक्षण इकाई में किसी व्यक्ति के सांपत्तिक अधिकारों का अभिलिखित किया जाना स्वामित्व का निश्चयात्मक सबूत नहीं होगा और इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में संशोधनों और परिवर्तनों के या किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किसी निर्णय और आदेश में इस प्रकार अवधारित अधिकारों के भी अध्यधीन होगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित अवधि के भीतर कोई आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है तो धारा 9 के अधीन स्थायी अधिकार अभिलेख में अभिलिखित कोई प्रविष्टि अंतिम समझी जाएगी।

(4) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी तत्पश्चात् अन्तिम रूप से तैयार किए गए अभिलेख को विहित रीति में प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसा आदेश सम्मिलित होगा जो उपधारा (2) के अधीन पारित किया जा सके।

(5) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा परिनिश्चित स्थायी अधिकार—अभिलेख को उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश को किसी अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण में अपास्त किए जाने, उपान्तरित या पुनरीक्षित किए जाने की दशा में संशोधित या उपान्तरित किया जाएगा।

अध्याय—5 अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

12. अपीलें.—(1) धारा 11 के अधीन सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(2) अभिलेखन और समाधान अधिकारी हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकेगा जो हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन अपीलें, यथास्थिति, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त द्वारा नोटिस के पश्चात् प्रत्यर्थी के हाजिर होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अभिनिश्चित की जाएंगी या जब तक कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अन्यथा निदेशित न किया जाए, एक पक्षीय रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी:

परन्तु—

- (क) यदि प्रथम अपील में मूल आदेश की पुष्टि हो जाती है तो आगे कोई और अपील नहीं की जाएगी;
- (ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा अपील पर ऐसा कोई आदेश उपान्तरित या प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो आगामी अपील पर आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश, यदि कोई हो, उसके लिए अंतिम होगा।

(5) अपील प्राधिकारी किसी मामले को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा, सिवाय जहां अभिलेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि आवश्यक पक्षकार, जिस पर सम्यक् रूप से तामील नहीं की गई हो, के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है।

13. पुनर्विलोकन.—जहां अभिलेख को देखते ही कोई गलती या त्रुटि प्रतीत होती है या जहां कोई नया या अनिवार्य तथ्य या साक्ष्य पाया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त पुनर्विलोकित किए जाने वाले आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकार को नोटिस देने और युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पुनर्विलोकन करेगा और इस प्रकार पुनर्विलोकन से स्वयं या उसके पद-पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा, उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा :

परन्तु:—

- (क) यदि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;
- (ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;
- (ग) यदि ऐसा कोई आदेश सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी या अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन पर उपान्तरित या प्रत्यावर्तित किया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अभिलेखन और समाधान अधिकारी को की जाएगी और अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त को की जाएगी तथा ऐसी अपील पर पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।
- (घ) किसी आदेश, जिस के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा; और
- (ङ) किसी आदेश का पुनर्विलोकन नामंजूर करने या पुनर्विलोकन की अनुज्ञा प्रदान करने या किसी पूर्ववर्ती आदेश के पुनर्विलोकन पर उसकी पुष्टि करने के किसी आदेश पर कोई अपील नहीं होगी।

(2) किसी आकस्मिक भूल (चूक) या लोप से होने वाली लिपिकीय या गणितीय भूल के सिवाय धारा 14 के अधीन वित्तायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन का कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

14. वित्तायुक्त द्वारा पुनरीक्षण.—वित्तायुक्त, आदेश पारित किए जाने के साठ दिन के भीतर किसी व्यथित पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाही, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए, से ऐसे आदेश या कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य से सम्बन्धित अभिलेख मंगवा सकेगा और उसकी पड़ताल कर सकेगा और प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् इससे सम्बन्ध ऐसे आदेश, जो वह उचित समझे, पारित कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा।

अध्याय-6
अभिलेख का अन्तरण

15. **जिला कलक्टर को अभिलेख का अन्तरण.**—आबादी देह क्षेत्र के स्थायी अधिकार-अभिलेख को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के पश्चात् इसे सहायक अभिलेखन और समाधानअधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा इसे राजस्व अधिनियम के अधीन इसका अनुरक्षण और पुनरीक्षण करने के लिए जिला कलक्टर को अन्तरित किया जाएगा।

16. **राजस्व अधिनियम के अध्याय-4 का लागू होना.**—धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात् राजस्व अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध ऐसे अभिलेख को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

17. **राजस्व अधिनियम के अध्याय-8 का लागू होना.**—राजस्व अधिनियम के अध्याय 8, तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और समय-समय पर जारी अनुदेश इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात् किसी सर्वेक्षण इकाई या उसके भाग के सीमांकन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय-7
विभाजन

18. **सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन.**—आबादी देह में समाविष्ट सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन राजस्व अधिकारी द्वारा स्थायी अधिकार-अभिलेख के अन्तरण के पश्चात् और केवल तभी यदि, सांपत्तिक अधिकार रखने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावित विभाजन को दर्शाते हुए नक्शे सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभाजन पुष्ट किया गया है, अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु राजस्व अधिकारी, सर्वेक्षण इकाई के ऐसे सह-स्वत्वधारियों और अन्य व्यक्तियों की पड़ताल करने (परीक्षण करने) के पश्चात् यदि उसकी राय है कि पर्यवेक्षण इकाई अविभाज्य है या विभाजन असाध्य है और उसके पास अच्छा और पर्याप्त हेतुक है कि क्यों न विभाजन अननुज्ञात किया जाए, अपनी नामंजूरी के आधारों को अभिलिखित करके सर्वेक्षण इकाई के विभाजन को नामंजूर कर सकेगा।

19. **विभाजन के विवाद.**—किसी विवाद की दशा में सर्वेक्षण इकाई के विभाजन के लिए आवेदन राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और व्यथित पक्षकार विभाजन के लिए सिविल न्यायालय में निवेदन कर सकेगा।

अध्याय-8
प्रकीर्ण

20. **समन करना.**—(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा जारी समन की तामील, व्यक्ति, जिसको यह सम्बोधित है, पर व्यक्तिगत रूप से या ऐसा न होने पर—

(क) उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर; या

(ख) प्रायः उसके साथ निवास करने वाले उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर की जाएगी।

(2) व्यक्ति जिस को यह सम्बोधित है, के प्रायिक या अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर भी तामील करवाया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी यदि निदेशित करे तो समन की तामील उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम पर या तो सेवा की अन्य किसी पद्धति के अतिरिक्त या के प्रतिस्थापन में पत्र में सम्बोधित किए गए व्यक्ति को डाक द्वारा समन भेजते हुए और भारतीय डाक अधिनियम, 1898 (1898 का 6) के अध्याय-6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करके या इस निमित्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी ख्यातिप्राप्त कुरियर एजेंसी के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(4) जब समन किसी पत्र में इस प्रकार अग्रेषित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि पत्र समुचित रूप से सम्बोधित और सम्यक् रूप से डाक द्वारा भेजा गया है और रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी यह उपधारित कर सकेगा कि समन की तामील इसके परिदान करने की अभिस्वीकृति के समय पर कर दी गई है :

परन्तु यदि समन किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जिसमें एक ही हित के व्यक्ति अनेक हैं, उन सभी पर व्यक्तिगत रूप से तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो वह इन्हें प्रथमतः और यदि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसा निदेशित करे, उन व्यक्तियों, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस निमित्त नामनिर्दिष्ट करे, को उसकी एक प्रति के परिदान द्वारा और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए इसकी अन्तर्वस्तु का व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील करवाया जा सकेगा।

(5) समन, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा लघु संदेश सेवा (एसएमएस), ई-मेल या अन्यथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दूरभाष नम्बर या अन्यथा ज्ञात या ज्ञात करवाए गए ई-मेल पते पर तामील की जा सकेगी :

परन्तु यदि तामील उपरोक्त किसी पद्धति के माध्यम से करवाई जाती है तो समन के परिदान की प्रिण्टर से छपी हुई प्रति अभिलेख में रखी जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा, जारी किसी नोटिस, उद्घोषणा के आदेश या किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति को किसी व्यक्ति पर समन की तामील के लिए इस धारा में उपबन्धित रीति में तामील करवाई जाएगी।

(7) उपधारा (2), (3), (5) या (6) में उपबन्धित तामील की कोई पद्धति उपधारा (1) में उपबन्धित किसी तामील की पद्धति के अतिरिक्त साथ-साथ अंगीकृत की जा सकेगी।

21. स्थायी अधिकार-अभिलेख में प्रविष्टियों के पक्ष में उपधारणा.—इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थायी अधिकार-अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि तब तक सही उपधारित की जाएगी जब तक कि यह प्रतिकूल साबित न हो जाए या विधिपूर्ण रूप से उसके संबंध में नई प्रविष्टि प्रतिस्थापित न कर दी गई हो।

22. अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद.—यदि कोई व्यक्ति, स्थायी अधिकार-अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा किसी अधिकार, जिस पर उसका कब्जा है, के बारे में स्वयं को व्यथित महसूस करता है तो वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) के अध्याय-6 के अधीन उसके अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

23. लेखन त्रुटियों का सुधार.—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को किसी भी समय सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा और ऐसे सुधार की सूचना पक्षकारों और सम्बद्ध अधिकारी को भी इसके कार्यान्वयन हेतु निःशुल्क दी जाएगी।

24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने के लिए आशयित

किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां किसी प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देशों के अधीन कृत्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरुद्ध न होंगी।

25. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

26. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन.—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी सिविल न्यायालय किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा, जिसके अवधारण या निपटान के लिए सरकार या कोई अधिकारी सशक्त है, संस्थित किसी वाद या विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा।

27. सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को भूमि, निवास और आवास क्षेत्रों तथा सर्वेक्षण इकाइयों में प्रवेश करने की शक्तियां.—इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों और उनके आदेशों के अधीन कृत्य करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के निर्वहन में विहित रीति में प्रवेश और भूमि का सर्वेक्षण कर सकेगा और उस पर सर्वेक्षण निशान लगा सकेगा या निर्मित कर सकेगा और उसकी सीमाएं सीमांकित कर सकेगा तथा ऐसे कर्तव्य के उचित पालन के लिए आवश्यक समस्त अन्य ऐसे कृत्य कर सकेगा।

28. सर्वेक्षण निशान और सीमांकन के नाशकरण, गिराने या हटाने के लिए शास्ति.—(1) यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्ण रूप से निर्मित या लगाए गए सर्वेक्षण या सीमांकन निशान को जानबूझकर नष्ट करता है, गिराता है या बिना विधिसम्मत प्राधिकार से हटाता है तो अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा उसे इस प्रकार नष्ट किए गए, गिराए गए या हटाए गए प्रत्येक निशान के लिए ऐसा जुर्माना, जो दो हजार रुपए से अनधिक हो, और ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति की दशा में प्रत्येक सर्वेक्षण निशान के लिए पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माना, जैसा उस अधिकारी की राय में उसे प्रत्यावर्तित करने के व्यय को पूरा करने और ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसने नाशकरण, गिराने या हटाने की सूचना दी है, को इनाम देने के लिए आवश्यक हो, संदत्त करने के लिए आदेशित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय जुर्माने की रकम, यदि विहित रीति में संदत्त नहीं की जाती है तो वह राजस्व अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

(3) इस धारा के अधीन जुर्माने का अधिरोपण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 434 के अधीन अभियोजन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराधी के अभियोजन का वर्जन नहीं होगा।

29. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें इसे रखा गया था, के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई

परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार पंचायती राज मन्त्रालय ने केन्द्रीय सेक्टर स्कीम नामतः "स्वामित्व" (ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित तकनीक के साथ गांव का सर्वेक्षण और मानचित्रण) के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्य से प्रक्षेपित की है ताकि आबादी-देह क्षेत्र की बाबत स्वत्वधारियों के विद्यमान अधिकारों का अभिलेखन और उनका समाधान किया जा सके:-

- (i) ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय आस्तियों के रूप में उनकी सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए उन्हें समर्थ बनाकर वित्तीय स्थायित्व लाना।
- (ii) ग्रामीण योजना के लिए स्टीक भू-अभिलेखों का सृजन करना।
- (iii) सर्वेक्षण अवसंरचना सृजन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी० आई० एस०) नक्शों, जिनका किसी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए लाभ उठाया जा सके।
- (iv) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी० आई० एस०) नक्शों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने में सहायक होना।
- (v) सम्पत्ति से सम्बन्धित विवादों और विधिक मामलों में कमी करना।

हिमाचल प्रदेश में आबादी-देह क्षेत्र भू-राजस्व के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। सर्वेक्षण कार्यान्वित न किए जाने से यह क्षेत्र स्वत्वधारियों के अधिकारों को अभिलिखित किए जाने, अभिलेख तैयार किए जाने या सीमाओं के चिन्हित किए जाने के बिना रह गया है। यह वर्षों से सीमाओं की निशान-देही और आवास और अन्य क्षेत्रों में अधिकारों की पहचान से सम्बन्धित विवादों में परिणामित हो गया है; इसके अतिरिक्त अधिकारों के प्रभावी अन्तरण में बाधा आ रही है। इस विधेयक का उद्देश्य, स्वत्वधारी के रूप में अभिलिखित किए जाने हेतु हकदार छूटे हुए व्यक्ति (यों) को अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया द्वारा आबादी-देह की बाबत स्वत्वधारियों के विद्यमान अधिकारों की पहचान करना, उन्हें अभिलिखित करना और उनका समाधान करने के लिए विधि समेकित करना है; इसके अतिरिक्त प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं और क्षेत्रों की निशान देही करना और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना भी है। इसका उद्देश्य इस प्रकार तैयार किए गए अभिलेखों की सत्यता की उपधारणा का सृजन करना भी है।

इस अभिलेख के तैयार किए जाने से आबादी-देह का सृजन होगा, जो ग्राम की विरासत को संभाव्य विस्तार तक संरक्षित करेगा, गांव में नागरिक सेवाओं और पर्यावरण के नियोजित शहरी विकास में उन्हें एकीकृत करने की व्यवस्था करने और समुन्नत करने, अभिविन्यास के संवर्धन से भू-मूल्य में भी अभिवृद्धि करेगा और गांवों के विकास मानदण्डों के लिए आसान और साधारण रीति में रोड मैप की भी व्यवस्था करेगा।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला:

तारीख:2021

THE HIMACHAL PRADESH ABADI DEH (RECORD OF RIGHTS) BILL, 2021

AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

BILL

to provide for recording and resolving of proprietary rights of the abadi deh area in the revenue estates and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Abadi deh (Record of Rights) Act, 2021.

- (2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “*abadi deh*” means the site recorded as such in the Record of Rights prepared and maintained under the Revenue Act, which is not assessed to land revenue;
- (b) “Appointed day” means the twentieth day of April, 2020;
- (c) “Assistant Recording and Resolution Officer” means a Revenue Officer not below the rank of Naib-Tehsildar under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;
- (d) “Assistant Survey Officer” means an officer appointed by the Government to act and perform functions under this Act;
- (e) “Chief Recording and Resolution Officer” means the Collector of the district under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;
- (f) “Commissioner” means the Commissioner of the division under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;
- (g) “Common area” means an area or building within the *abadi deh* used for any common need, convenience or benefit of the community and includes roads, paths, streets, public parks, drains, public toilets, ponds and tanks, wells, water courses, play grounds, bus stand or waiting places, places used for public sittings

and gatherings or for any such other purposes used by the inhabitants, and any vacant site or plot not owned or possessed by any person; but does not include a building or area which houses an institution under the control of the Central or State Government;

- (h) “Financial Commissioner” means the Financial Commissioner (Revenue) Himachal Pradesh notified to perform the functions under this Act;
- (i) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (j) “notification or notified” means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
- (k) “Panchayat” means a Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994);
- (l) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (m) “proprietary right” means the right of ownership recorded in the name of a person, Panchayat, Urban Local Body, Central or State Government, juristic person or any other entity but does not include the rights of tenant, lessee, mortgagee or any other right which does not confer ownership;
- (n) “Recording and Resolution Officer” means a revenue officer not below the rank of Sub-Divisional Collector, notified to perform functions under this Act;
- (o) “Revenue Act” means the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954);
- (p) “Revenue Officer” means a revenue officer exercising the powers under the Revenue Act;
- (q) “section” means section of this Act;
- (r) “Survey Officer” means an officer appointed by the Government to act and perform functions under this Act;
- (s) “survey unit” means the area within the abadi deh, to which a survey number is assigned under this Act;
- (t) ‘Urban Local Body’ means a Municipal Corporation, Municipal Council or a Nagar Panchayat, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) and Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) respectively; and
- (u) “Village Committee” means the committee nominated in the village or area under urban local body, as the case may be, by the Assistant Recording and Resolution Officer, with its composition as prescribed to identify the ownership of survey units and common areas set apart for common purposes with the abadi deh.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Revenue Act have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER-II
OFFICERS AND POWERS

3. Officers.—(1) Subject to the provisions of this Act, there shall be the following officers notified to perform the functions and exercise powers under this Act, namely:—

- (a) Financial Commissioner;
- (b) Commissioner;
- (c) Chief Recording and Resolution Officer;
- (d) Recording and Resolution Officer;
- (e) Assistant Recording and Resolution Officer;
- (f) Survey Officer; and
- (g) Assistant Survey Officer.

(2) Subject to the provision of this Act, the officers mentioned in clauses (a), (b), (d) and (e) of sub-section (1) shall have, for the purposes of discharging their functions under this Act, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

in respect of the following matters, namely:—

- (a) the summoning and enforcing the attendance of any person and examining him;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavit;
- (d) subject to the provisions of section 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office; and
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

4. Superintendence and control of officers.—(1) The superintendence and control over all officers in their administrative functioning under this Act shall vest in the Financial Commissioner, and all such officers shall be subordinate to him.

(2) Subject to the superintendence and control of the Financial Commissioner, the Commissioner shall control all other officers under this Act, in his division.

(3) Subject to the superintendence and control of the Financial Commissioner, the Chief Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his district.

(4) Subject to aforesaid and to the control of the Chief Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his sub-division.

CHAPTER-III
SURVEY, MAPPING AND IDENTIFICATION

5. Identification of abadi deh area.—The Government may, by notification, specify any abadi deh in a district, sub-division of a district, Urban Local Body or a village as an area for the purpose of identifying, recording and resolving the rights in each survey unit.

6. Survey and mapping.—(1) The Government shall appoint a Survey Officer and an Assistant Survey Officer to assist him, for each area notified under section 5 to conduct a survey in the manner as may be prescribed.

(2) The Government, upon notifying areas of which the standing record of rights within an abadi deh is to be prepared, shall itself or through a notified agency get a survey conducted and mapping done of such area to determine the boundary of the *abadi deh*, define the area and dimension of each survey unit, and assign a unique survey number to each such unit.

(3) The survey reports and maps prepared of the area shall be submitted to the Assistant Recording and Resolution Officer for the purpose of preparing the standing record of rights in the survey units.

CHAPTER-IV
STANDING RECORD OF RIGHTS AND ITS MAKING

7. Standing record of rights.—(1) There shall be a standing record of rights for each abadi deh area, which shall comprise the following namely:—

- (a) the record of proprietary rights of each survey unit prepared under this Chapter;
- (b) the survey reports and maps prepared under Chapter III with dimensions;
- (c) the record of proceedings of the meetings of the Village Committee;
- (d) such other document as may be prescribed or notified; and
- (e) genealogical tree (Shajra Nasab).

8. Inquiry by the Assistant Recording and Resolution Officer.—(1) The Assistant Recording and Resolution Officer, on his being designated as such, shall constitute a Village Committee for identifying the proprietary rights of the proprietors in the survey units.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer, in respect of the abadi deh of which the standing record of rights is to be prepared, shall inform the inhabitants of the area, in the manner prescribed, about the proposal to prepare such record for each of the survey unit.

9. Preparation of standing record of rights.—(1) The Assistant Recording and Resolution Officer, after deliberations and consultations with the Village Committee and hearing the parties interested, shall, in a summary manner, and as may be prescribed, record the proposed entries of proprietors and their proprietary rights and of the boundaries of the survey unit in the standing record of rights, as on the appointed day.

(2) The entry of proprietor and his proprietary rights shall be recorded by the Assistant Recording and Resolution Officer in the name of,—

- (a) the owner of the built up dwelling and residential areas including its open or enclosed court yards, other vacant land and plots of owners not being a common area, shops and other establishment;
- (b) the Panchayat and the Urban Local Body for the common area, vacant land or plot not owned by any person; and
- (c) the Central, State Government, juristic person or other entity in respect of the land or institutions owned by it.

(3) In the conduct of exercise of powers under sub-sections (1) and (2) if a survey unit is found to be sub-divided, which escaped the attention of the Survey Officer, the Assistant Recording and Resolution Officer shall assign a unique number to each such survey unit.

(4) The rights acquired under this Act, shall not entitle the owner to acquire status of an agriculturist or a scheduled tribe for the purpose of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974) or Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (15 of 1969).

10. Display of record.—The survey map prepared under section 6 and the record of entries of proprietors in a survey unit prepared under section 9, shall be displayed at a conspicuous place in the village or within the area of the Urban Local Body and a copy thereof supplied to the Panchayat through the Ward Member of the village or the elected representative of the Urban Local Body or the Secretary in the absence such elected members of the Urban Local Body, as the case may be, in the manner, as may be prescribed.

11. Raising of objections and decision.—(1) A person aggrieved by the demarcation of any boundary in the survey record, or an entry regarding the proprietary rights in the standing record of rights in a survey unit, may, within thirty days from the date of display of record under section 10, file objections about the correctness thereof before the Assistant Recording and Resolution Officer.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer after hearing the parties and perusing the record, if any, shall make necessary correction of the boundaries in the survey map, and ascertain the persons best entitled to be recorded as the proprietor in the survey unit, and within sixty days of the expiry of the period under sub-section (1), pass an order in this regard by recording reasons.

Explanation.—The recording of the proprietary rights of a person in a survey unit shall not be conclusive proof of ownership and shall be subject to corrections and alterations in appeal or revision under this Act or also the rights so determined by a judgment and order of a court of competent jurisdiction.

(3) An entry recorded in the standing record of rights under section 9, if no objection is filed within the period provided under sub-section (1), shall be treated as final.

(4) The Assistant Recording and Resolution Officer shall thereafter in the manner prescribed, publish the record as finalized, which shall incorporate an order that may be passed under sub-section (2).

(5) The standing record of rights finalized by the Assistant Recording and Resolution Officer shall be amended or modified in the event of an order passed under sub-section (2) is set aside, modified or reversed in appeal, review or revision.

CHAPTER-V
APPEAL, REVIEW AND REVISION

12. Appeals.—(1) Any person aggrieved by an order passed by the Assistant Recording and Resolution Officer under section 11 may, within thirty days of the passing of such order, file an appeal before the Recording and Resolution Officer.

(2) The Recording and Resolution Officer after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(3) Any person aggrieved by an order passed by the Recording and Resolution Officer under sub-section (2) may, within thirty days of the passing of such order, appeal to the Commissioner, who shall after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(4) Appeals under sub-sections (2) and (3) shall be decided by the Recording and Resolution Officer and the Commissioner, as the case may be, within sixty days from the date the respondent puts in appearance after notice or is proceeded against *ex-parte* unless for reasons to be recorded in writing it is directed otherwise:

Provided that,—

- (a) when an original order is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie; and
- (b) when any such order is modified or reversed on appeal by the Recording and Resolution Officer, the order made by the Commissioner on further appeal, if any, to him shall be final.

(5) An appellate authority shall not remand a case except where it is established from the record that an adverse order has been passed against a necessary party who was not duly served.

13. Review.—(1) Where there is a mistake or error apparent on the face of record or where some new and important fact or evidence is discovered, the Assistant Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer and the Commissioner, may within sixty days of the order sought to be reviewed either on their own motion or on the application of a party interested, after notice to the party likely to be affected and giving reasonable hearing, review, and on so reviewing, modify, reverse or confirm any order passed by himself or his predecessor in office:

Provided that,—

- (a) when an Assistant Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Recording and Resolution Officer;
- (b) when a Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Chief Recording and Resolution Officer;
- (c) when any such order is modified or reversed on review by the Assistant Recording and Resolution Officer, or the Recording and Resolution Officer, an appeal shall lie against the order of the Assistant Recording and Resolution Officer to the Recording and Resolution Officer, and from the order of the Recording and Resolution Officer to the Commissioner, and the order on such appeal shall be final;
- (d) an order against which an appeal or revision has been preferred shall not be reviewed; and

- (e) an appeal shall not lie from an order refusing or granting permission to review or confirming on review a previous order.

(2) Save in the cases of clerical or arithmetical mistakes arising from any accidental slip or omission, no application for review shall lie under this section against an order passed by the Financial Commissioner under section 14.

14. Revision by Financial Commissioner.—The Financial Commissioner may, on an application of an aggrieved party, within sixty days of an order being passed, or on his own motion, call for and examine the records relating to any order passed or proceedings taken under this Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order of proceedings and after hearing the affected parties, may pass such order in relation thereto as he may deem fit and modify, reverse or confirm any order passed under this Act.

CHAPTER-VI
TRANSFER OF RECORD

15. Transfer of record to the District Collector.—After preparation and finalization of the standing record of rights of the abadi deh area, it shall be attested by the Assistant Recording and Resolution Officer and transferred to the District Collector for maintaining and revising it under the Revenue Act.

16. Application of Chapter IV of Revenue Act.—The provisions of Chapter IV of the Revenue Act after transfer of the record under section 15 shall apply *mutatis mutandis* to such record.

17. Application of Chapter VIII of Revenue Act.—The provisions of Chapter VIII of the Revenue Act, rules framed thereunder and instructions issued from time shall apply *mutatis mutandis* for demarcation of a survey unit or part thereof after transfer of the record under section 15 of this Act.

CHAPTER-VII
PARTITION

18. Partition of survey units.—A partition of survey units comprised in abadi deh may be allowed by a Revenue Officer after the standing record of rights has been transferred, and only if the partition has been affirmed by all interested parties with a map showing the proposed partition signed by all persons having proprietary rights:

Provided that the Revenue Officer after examining such of the co-proprietors of the survey unit and other persons may, if he is of the opinion that the survey unit is impartible or the partition is impractical and there is good and sufficient cause why partition should be disallowed, refuse to partition the survey unit by recording the grounds of his refusal.

19. Disputes as to partition.—An application for the partition of a survey unit, in the event of a dispute, shall not lie before the Revenue Officer; and the party aggrieved may approach the civil court for partition.

CHAPTER-VIII
MISCELLANEOUS

20. Summons.—(1) A summon issued by an officer appointed under this Act shall be served personally, on the person to whom it is addressed, or failing him,—

- (a) his recognized agent; or
- (b) an adult member of his family usually residing with him.

(2) A summon may also be served by pasting a copy thereof at the usual or last known place of residence of the person to whom it is addressed.

(3) A summon may, if an officer appointed under this Act so directs, be served on the person named therein, either in addition to, or in substitution for, any other mode of service, by forwarding the summons by post in a letter addressed to the person and registered under Chapter VI of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) or sent through a reputed courier agency notified by the Government in this regard.

(4) When a summon is so forwarded in a letter, and it is proved that the letter was properly addressed and duly posted and registered, the officer appointed under this Act may presume that the summons was served at the time when receipt of its delivery is furnished:

Provided that if the summons relates to a case in which persons having the same interest are so numerous that personal service on all of them is not reasonably practicable, it may, in the first instance and if the officer appointed under this Act so directs, be served by delivery of a copy thereof to such of those persons as the officer appointed under this Act nominates in this behalf, and by publications of the contents thereof in a daily newspaper having wide circulation, for the information of the other persons interested.

(5) The summons may also be served through Short Message Service, email, or through other electronic modes at the phone number or email address otherwise known or made known, to the officer appointed under this Act:

Provided that if service is affected through any of the above modes, a printout of the delivery of summons shall be placed on the record.

(6) A notice, order of proclamation or copy of any such document, issued by an officer under this Act for service on any person shall be served in the manner provided in this section for the service of a summons.

(7) Any of the modes of service provided in sub-sections (2), (3), (5) or (6) may be adopted simultaneously in addition to the mode of service provided in sub-section (1).

21. Presumption in favour of entries in the standing record of rights.—Any entry made in a standing record of rights in accordance with the provisions of this Act shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefore.

22. Suit for declaratory decree by persons aggrieved by an entry in a record.—If any person considers himself aggrieved as to any right of which he is in possession by an entry in a standing record of rights, he may institute a suit for a declaration of his right under Chapter VI of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963).

23. Correction of clerical errors.—The clerical or arithmetical mistakes in any order passed by any officer under this Act may, at any time be corrected by the authority concerned either of its own motion or on the application of any of the parties and an intimation of such correction shall be made to the parties free of any charges and also to the concerned officer for its implementation.

24. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer under this Act or any official acting under the directions of such officer, for anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of this Act or any rule made thereunder.

25. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

26. Exclusion of jurisdiction of civil courts.—Except as otherwise provided in this Act, no civil court shall entertain any suit instituted or application made to obtain a decision or order in respect, of any matter which the Government or any officer is by this Act empowered to determine or dispose of.

27. Powers of officers to enter upon land, dwelling and habitation areas, survey units for the purposes of survey and demarcation.—The officers under this Act and any person acting under their orders may, in the discharge of any duty under this Act, enter upon and survey land in the manner prescribed, put and erect survey marks thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other such acts necessary for the proper performance of that duty.

28. Penalty for destruction, dismantling or removal of survey marks and demarcation.—(1) If any person willfully destroy, dismantles or without lawful authority removes a survey or demarcation mark lawfully erected or put, he may be ordered by the Recording and Resolution Officer to pay such fine not exceeding Rupees two thousand for each mark so destroyed, dismantled or removed, and in the case of repetition of such an act, a fine not exceeding Rupees five thousand for each survey mark, as may, in the opinion of that officer, be necessary to defray the expenses of restoring the same and rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, dismantling or removal.

(2) The amount of fine levied under sub-section (1), if not paid in the manner prescribed, shall be recoverable as arrears of land revenue under the Revenue Act.

(3) The imposition of a fine under this section shall not bar a prosecution under section 434 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or prosecution of the offender under any other law for the time being in force.

29. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in Session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India, the Ministry of Panchayati Raj, has launched a central sector scheme titled 'SVAMITVA' (Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas) amongst others with the following objectives to record and resolve the existing rights of the proprietors within the area of Abadi Deh:—

- i. to bring financial stability to the citizens in rural India by enabling them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits;
- ii. creation of accurate land records for rural planning;
- iii. creation of survey infrastructure and Geographic Information System maps that can be leveraged by any department for their use;
- iv. to support in preparation of better-quality Gram Panchayat Development Plan (GPDP) by making use of Geographic Information System maps; and
- v. to reduce property related disputes and legal cases.

The Abadi Deh area in Himachal Pradesh is not assessed to land revenue. This area has remained without recording of rights of the proprietors, preparation of record, or the marking of boundaries by carrying out a survey. This has over the years resulted in disputes about demarcation of boundaries and identification of rights in the dwelling and other areas; besides causing hardship in the effective transfer of rights.

The object of this Bill is to make a law to identify, record and resolve the existing rights of the proprietors within the Abadi Deh by a process of ascertaining the person(s) best entitled to be recorded as proprietor; besides, demarcating, delineating the boundaries and areas of each survey unit. It also aims to create a presumption of truth in the records so prepared.

The preparation of this record would provide for development of the Abadi Deh that preserves the heritage of the village to the extent possible, provide and upgrade civic services and environment in villages to integrate them with planned urban development, enhance the land value by improving the lay out and provide a road map for development norms for villages in an easy and simple manner.

(MAHENDER SINGH THAKUR)
Minister-in Charge.

DHARAMSHALA:

The, 2021.